न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 29/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनियां जिला शाहपुरा।	बनाम	श्री मदन रेगर पुत्र रूपा रेगर निवासी ग्राम लाडीजी का खेड़ा पोस्ट मनोहरपुरा, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
-- प्रार्थी		--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री मनीष कुमार।

निर्णय

दिनांक : 31.7.2024

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी – भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनियां जिला शाहपुरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 19.06.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के वतौर जो भूमि व भवन अचल सम्पत्ति – **श्री मदन रेगर पुत्र रूपा रेगर की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या–14 दिनांक 15.05.2017, ग्राम लाडीजी का खेड़ा, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 133.33 वर्गगज है जिसकी सीमाएं उत्तर– शैतान रेगर का मकान, दक्षिण– मोहन रेगर का मकान, पूर्व– आम रास्ता एवं पश्चिम– भोली रेगर का मकान है** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 01.06.2023 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,31,808.56/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.05.2023 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोपित कर दिया था, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (राज.)

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:—

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ—पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (ऋणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति **(श्री मदन रेगर पुत्र रूपा रेगर की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या—14 दिनांक 15.05.2017, ग्राम लाडीजी का खेड़ा, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 133.33 वर्गगज है जिसकी सीमाएं उत्तर— शैतान रेगर का मकान, दक्षिण— मोहन रेगर का मकान, पूर्व— आम रास्ता एवं पश्चिम— भोली रेगर का मकान है)** का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)
सत्यमेव जयते